डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : प्रशा०/479/2026 दिनांक : 20/08/2026

सेवा में,

1. प्राचार्य/प्राचार्या,
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
   डॉ० भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

2. डीन शोध,
   डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषयः मा० उच्च्च न्यायालय, किशोर न्याय समिति, खण्डपीठ लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15.09.2025 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ के पत्र संख्या– 1664/सत्तर–1–2025 दिनांक 30.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग उ०प्र० शासन के पत्र संख्यारू 1093003/60–1099/321/2024 दिनांक 18–09–2025 के क्रम में में दिनांक 15.09.2025 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत क्रियान्यन के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या–01, 02, 03, 04 एवं 05 (प्रति संलग्न) पर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः उक्त के आलोक में मा० कुलपति जी के आदेश दिनांकः 20.08.2026 द्वारा मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ के पत्र संख्या–1664/सत्तर–1–2025 दिनांक 30.10.2025 एवं दिनांकः 15.09.25 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित बिंदु संख्या 01–05 पर कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से विश्वविद्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

कुलसचिव,

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उ०प्र० शासन।
3. परीक्षा नियंत्रक ।
4. कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
5. जिलाधिकारी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित विभाग को निदेशित कर राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों की अद्यतन सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. सांस्कृतिक समिति।
7. विश्वविद्यालय कार्यदायी एजेंसी को इस आशय के साथ पत्र प्रेषित कि वह उक्त सूचना को महाविद्यालयों की बेवसाइट पर अपलोड करें।
8. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

संख्या-1664/सत्तर-1-2025

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
उच्च शिक्षा,
प्रयागराज, उ०प्र०।

2- कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।

3- कुलसचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।

4- कुलसचिव,
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय,
वाराणसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 30 अक्टूबर, 2025

विषय- मा० उच्च न्यायालय, किशोर न्याय समिति, खण्डपीठ लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15.09.2025 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-1093003/60-1099/321/2024 दिनांक 18-09-2025 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र में की गयी अपेक्षानुसार अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
Girijesh Kumar Tyagi
Date: 28-10-2025
19:21:49

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-1093003/60-1099/321/2024 दिनांक 18-09-2025 की छायाप्रति

1/1125987/2025

70-1099/1062/2025-उच्च शिक्षा अनुभाग-1-Higher Education Department

संलग्न कर प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) विशेष सचिव, संस्कृति विभाग उ0प्र0 शासन।

(2) विशेष सचिव, आयुष विभाग उ0प्र0 शासन।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

Digitally signed by
SANJAY KUMAR DWIVEDI
Date: 29-10-2025
11:36:09

(संजय कुमार द्विवेदी)

अनु सचिव

मा0 उच्च न्यायालय, किशोर न्याय समिति, खण्डपीठ लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15.09.2025 को विभिन्न विभागों के साथ सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्तः-

संख्या 1664 /सत्तर-1-2025

अवगत कराना है कि मा0 किशोर न्याय समिति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के पत्र दिनांक 09.09.2025 में की गयी अपेक्षा के क्रम में प्रमुख सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा विभिन्न विभागों के साथ दिनांक 15.09.2025 को कार्यालय कक्ष-824 में बैठक सम्पन्न हुयी।

दिनांक 15.09.2025 को प्रमुख सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः-

5262/VS(T)/2025
JS/SO-3

1. श्रीमती संदीप कौर, निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. श्री अवधेश तिवारी, विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री गिरिजेश त्यागी, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री अमरनाथ उपाध्याय, विशेष सचिव, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. श्री गणेश कुमार, निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0।
6. श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।
7. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, उप निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
8. श्री रित्विक पात्रा, यूनीसेफ।

18.09.2025
(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

मा0 अध्यक्ष, किशोर न्याय समिति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में उक्त सम्पन्न बैठक में सम्बन्धित विभागों के साथ विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्देश दिए गएः-

1. बैठक में उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 द्वारा महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में संचालित समस्त गृहों की सूची एवं कानपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के साथ हुए एम.ओ.यू. की प्रति निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

Imp.
SO-1/2024(HE)
22.09.2025

23/9/2025

2. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में संचालित अन्य विश्वविद्यालयों तथा वाराणसी में संचालित बी.एच.यू., काशी विद्यापीठ, आयुष वि.वि., आयुष वाटिका को जोड़ते हुए छात्रों को राजकीय गृहों की क्रियाकलापों से जोड़ा जाये।
3. विश्वविद्यालयों के इन्टर्नशिप, पी.एच.डी. एम.फिल, स्नातकोत्तर के अन्तिम सेमेस्टर इत्यादि के छात्र राजकीय गृहों में निवासरत बच्चों को सामाजिक कार्य, संगीत, नृत्य, रंगमंच, चित्रकला, शिल्पकला, योग एवं साहित्य से जुडी कार्यशालाएँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव एवं नाटक, नुक्कड़ नाटक, गायन, वादन, संगीत, थियेटर आदि क्रियाकलापों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित करेंगे।
4. राजकीय गृहों में निवासरत बच्चों को शिक्षित व प्रशिक्षित करने वाले छात्र-छात्राओं को महिला कल्याण विभाग की ओर से प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
5. प्रदेश में संचालित 27 राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में आवासित किशोरों की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु विभागीय संस्था में को NIOS का सेन्टर स्थापित करने हेतु समन्वय स्थापित कर अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा)

6. मा0 समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 द्वारा महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय गृहों में अध्यापकों को नियुक्त करना एवं राजकीय गृहों में स्थापित पुस्तकालयों के लिए शिक्षकों की टीम द्वारा किताबों को चिन्हित कराना।
7. राजकीय गृहों में आवासित बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत बच्चों को निजी एवं प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाना।
8. राजकीय गृहों में आवासित बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(C) के अन्तर्गत अनाथ (Orphan) बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु निजी एवं प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाना।
9. राजकीय गृहों में निवासरत बच्चों को ब्रिजकोर्स के अन्तर्गत जोड़ते हुए उच्च स्तर की शिक्षा में जोड़े जाने हेतु कार्यवाही किया जाना।
10. राजकीय गृहों में निवासरत बच्चों को पढ़ाने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग से अध्यापकों को तैनात किया गया है, ऐसे नामित शिक्षिकों की सूची महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाए।

11. राजकीय गृहों में निवासरत ऐसे बच्चे, जो कक्षा-5 पास कर चुके है और कक्षा-6 में प्रवेश कराया जाना है, उन बच्चों को ब्रिजकोर्स के माध्यम से अटल आवासीय, नवोदय, सैनिक स्कूल में प्रवेश दिलाये जाने हेतु प्रवेश परीक्षा हेतु उनकी तैयारी कराया जाना।
12. बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय गृहों हेतु अपग्रेडेशन व समिति से स्क्रूटनी कराते हुए स्वीकृत पुस्तकों (गीता प्रेस, CBT, NBT, SCERT, NCERT) का उम्र के अनुसार चित्रमय, क्लाइमेट चेंज उपलब्ध कराया जायेगा।
13. बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सेवानिवृत्त शिक्षक जो राजकीय गृहों में बच्चों को निःशुल्क एवं अपनी स्वेच्छा से शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें सूचीबद्ध कर महिला कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
14. बैठक के दौरान यह विषय भी संज्ञान में लाया गया कि कस्तूरबा गाँधी बालिका वियालयों की तर्ज पर महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत राजकीय बाल गृहों हेतु हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामान्य ज्ञान आदि विषयों पर सोशल मीडिया के सब्सक्रिप्शन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाये जिससे गृहों में निवासरत बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में सहायता मिल सके।

(कार्यवाही बेसिक शिक्षा विभाग एवं
निदेशालय महिला कल्याण द्वारा)

15. राजकीय गृहों में निवासरत विशेष आवश्यकता वाले ब्रच्चों हेतु स्पेशल एजूकेटर की व्यवस्था (दिव्यांग जनसशक्तिकरण विभाग) द्वारा राजकीय बाल गृहों के लिए वैकल्पिक तौर पर उपलब्ध कराना।
16. मानसित मंदित, मूक बधिर एवं दिव्यांग ब्रच्चों की काउंसलिंग हेतु विशेषज्ञ की आवश्यकता के दृष्टिगत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ/ काउन्सलर जो ऐसे बच्चों की काउन्सलिंग कर उनके पुनर्वासन में सहयोग प्रदान कर सके। विशेषज्ञ काउन्सलर अंशकालिक रूप से अथवा आवश्यकता पड़ने पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नामित किये जाने पर जब कोई ऐसा बच्चा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी काउंसलिंग हेतु उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(कार्यवाही दिव्यांग जनसशक्तिकरण विभाग द्वारा)

17. महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय बाल गृह (शिशु) एवं राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में निवासरत बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र की

गुणवत्तापूर्ण पोषाहार तथा ई0सी0सी0ई0 (Early Childhood Care & Education-ECCE) की सुविधा से आवश्यकतानुसार बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा।

(कार्यवाही बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा)

18. प्रदेश में संचालित समस्त राजकीय बाल गृहों की सूची पूर्व पते सहित बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाना।

(कार्यवाही निदेशालय महिला कल्याण द्वारा)

बैठक में उपरोक्त बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने की अपेक्षा के साथ बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुयी।

Digitally signed by
LEENA JOHRI
Date: 18-09-2025
(लीना जौहरी)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
महिला कल्याण अनुभाग-1
संख्या:- 1093003/60-1099/321/2024,
लखनऊ: दिनांक: 18 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, दिव्यांग जनसशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. विशेष सचिव, बाल विकास पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
SUDHA VERMA
Date: 18-09-2025
13:19:34
(सुधा वर्मा)
विशेष सचिव

मा0 उच्च न्यायालय, किशोर न्याय समिति, खण्डपीठ लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15.09.2025 को विभिन्न विभागों के साथ सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

अवगत कराना है कि मा0 किशोर न्याय समिति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के पत्र दिनांक 09.09.2025 में की गयी अपेक्षा के क्रम में प्रमुख सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा विभिन्न विभागों के साथ दिनांक 15.09.2025 को कार्यालय कक्ष-824 में बैठक सम्पन्न हुयी।

दिनांक 15.09.2025 को प्रमुख सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

5262/VS(T)/2025
JS/SO-3

1. श्रीमती संदीप कौर, निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. श्री अवधेश तिवारी, विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री गिरिजेश त्यागी, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री अमरनाथ उपाध्याय, विशेष सचिव, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. श्री गणेश कुमार, निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0।
6. श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।
7. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, उप निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
8. श्री रित्विक पात्रा, यूनीसेफ।

18.09.2025
(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

मा0 अध्यक्ष, किशोर न्याय समिति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में उक्त सम्पन्न बैठक में सम्बन्धित विभागों के साथ विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्देश दिए गए:-

1. बैठक में उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 द्वारा महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में संचालित समस्त गृहों की सूची एवं कानपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के साथ हुए एम.ओ.यू. की प्रति निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

Imp.
SO-1 | 3024 (HE)
22.09.2025

2. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में संचालित अन्य विश्वविद्यालयों तथा वाराणसी में संचालित बी.एच.यू., काशी विद्यापीठ, आयुष वि.वि., आयुष वाटिका को जोड़ते हुए छात्रों को राजकीय गृहों की क्रियाकलापों से जोड़ा जाये।
3. विश्वविद्यालयों के इन्टर्नशिप, पी.एच.डी. एम.फिल, स्नातकोत्तर के अन्तिम सेमेस्टर इत्यादि के छात्र राजकीय गृहों में निवासरत बच्चों को सामाजिक कार्य, संगीत, नृत्य, रंगमंच, चित्रकला, शिल्पकला, योग एवं साहित्य से जुडी कार्यशालाएँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव एवं नाटक, नुक्कड़ नाटक, गायन, वादन, संगीत, थियेटर आदि कियाकलापों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित करेंगे।
4. राजकीय गृहों में निवासरत बच्चों को शिक्षित व प्रशिक्षित करने वाले छात्र-छात्राओं को महिला कल्याण विभाग की ओर से प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
5. प्रदेश में संचालित 27 राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में आवासित किशोरों की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु विभागीय संस्था में को NIOS का सेन्टर स्थापित करने हेतु समन्वय स्थापित कर अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा)

6. मा० समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० द्वारा महिला कल्याण विभाग, उ०प्र० के अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय गृहों में अध्यापकों को नियुक्त करना एवं राजकीय गृहों में स्थापित पुस्तकालयों के लिए शिक्षकों की टीम द्वारा किताबों को चिन्हित कराना।
7. राजकीय गृहों में आवासित बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत बच्चों को निजी एवं प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाना।
8. राजकीय गृहों में आवासित बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(C) के अन्तर्गत अनाथ (Orphan) बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु निजी एवं प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाना।
9. राजकीय गृहों में निवासरत बच्चों को ब्रिजकोर्स के अन्तर्गत जोड़ते हुए उच्च स्तर की शिक्षा में जोड़े जाने हेतु कार्यवाही किया जाना।
10. राजकीय गृहों में नियासरत बच्चों को पढ़ाने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग से अध्यापकों को तैनात किया गया है, ऐसे नामित शिक्षिकों की सूची महिला कल्याण विभाग, उ०प्र० द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० को उपलब्ध करायी जाए।

11. राजकीय गृहों में निवासरत ऐसे बच्चे, जो कक्षा-5 पास कर चुके है और कक्षा-6 में प्रवेश कराया जाना है, उन बच्चों को ब्रिजकोर्स के माध्यम से अटल आवासीय, नवोदय, सैनिक स्कूल में प्रवेश दिलाये जाने हेतु प्रवेश परीक्षा हेतु उनकी तैयारी कराया जाना।
12. बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय गृहों हेतु अपग्रेडेशन व समिति से स्क्रूटनी कराते हुए स्वीकृत पुस्तकों (गीता प्रेस, CBT, NBT, SCERT, NCERT) का उम्र के अनुसार चित्रमय, क्लाइमेट चैंज उपलब्ध कराया जायेगा।
13. बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सेवानिवृत शिक्षक जो राजकीय गृहों में बच्चों को निःशुल्क एवं अपनी स्वेच्छा से शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें सूचीबद्ध कर महिला कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
14. बैठक के दौरान यह विषय भी संज्ञान में लाया गया कि कस्तूरबा गाँधी बालिका वियालयों की तर्ज पर महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत राजकीय बाल गृहों हेतु हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामान्य ज्ञान आदि विषयों पर सोशल मीडिया के सब्सक्रिप्शन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाये जिससे गृहों में निवासरत बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में सहायता मिल सके।

(कार्यवाही बेसिक शिक्षा विभाग एवं
निदेशालय महिला कल्याण द्वारा)

15. राजकीय गृहों में निवासरत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु स्पेशल एजूकेटर की व्यवस्था (दिव्यांग जनसशक्तिकरण विभाग) द्वारा राजकीय बाल गृहों के लिए वैकल्पिक तौर पर उपलब्ध कराना।
16. मानसित मंदित, मूक बधिर एवं दिव्यांग बच्चों की काउंसलिग हेतु विशेषज्ञ की आवश्यकता के दृष्टिगत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ/ काउन्सलर जो ऐसे बच्चों की काउन्सलिंग कर उनके पुनर्वासन में सहयोग प्रदान कर सके। विशेषज्ञ काउन्सलर अंशकालिक रूप से अथवा आवश्यकता पड़ने पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नामित किये जाने पर जब कोई ऐसा बच्चा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी काउंसलिंग हेतु उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(कार्यवाही दिव्यांग जनसशक्तिकरण विभाग द्वारा)

17. महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय बाल गृह (शिशु) एवं राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में नियासरत बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र की

गुणवत्तापूर्ण पोषाहार तथा ई0सी0सी0ई0 (Early Childhood Care & Education-ECCE) की सुविधा से आवश्यकतानुसार बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा।

(कार्यवाही बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा)

18. प्रदेश में संचालित समस्त राजकीय बाल गृहों की सूची पूर्व पते सहित बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाना।

(कार्यवाही निदेशालय महिला कल्याण द्वारा)

बैठक में उपरोक्त बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने की अपेक्षा के साथ बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुयी।

Digitally signed by
LEENA JOHRI
Date: 18-09-2025
(लीना जौहरी)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

महिला कल्याण अनुभाग-1

संख्या:-1093003/60-1099/321/2024,

लखनऊ: दिनांक: 18 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, दिव्यांग जनसशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. विशेष सचिव, बाल विकास पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
SUDHA VERMA
Date: 18-09-2025
13:19:34
(सुधा वर्मा)
विशेष सचिव।